न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला-

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

धन्ना शर्मा बनाम कमलेश

मु. नं. 11/22 T.R.

16.10.25

अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30.10.25 को पेश हो।

30.10.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
11/2022	23.02.2022	30.10.2025

बउनवान

1. यश शर्मा पुत्र प्रदीप कुमार शर्मा दत्तक पुत्र कमलेश शर्मा, नाबालिग जरिये संरक्षक नैसर्गिक पिता प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र दिनेश चन्द शर्मा, निवासी ग्राम महुकलां, तहसील मण्डावर हाल तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. कमलेश पुत्र किशोरीलाल उर्फ किशोर्या, निवासी ग्राम महुकलां, तहसील मण्डावर हाल तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
2. मुकेश पुत्र किशोर्या, निवासी ग्राम महुकलां, तहसील मण्डावर हाल तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा, हाल निवासी दौलताबाद, गुडगांव, हरियाणा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. उप–पंजीयन अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री विश्राम दयाल कुम्हार।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजीयात खेवट खतौनी सं. नई 158, पुरानी 155 के खसरा सं. 181 रकबा 0.51 हैक्टे., 182 रकबा 1.74 हैक्टे., 182/619 रकबा 0.01 हैक्टे., 461 रकबा 0.56 हैक्टे., कुल किता 04, कुल रकबा 2.82 हैक्टे., वार्षिक लगानी 32.40 रूपये ग्राम महुकलां, तहसील बैजूपाडा में स्थित है। सजरा खानदान निम्नानुसार है–

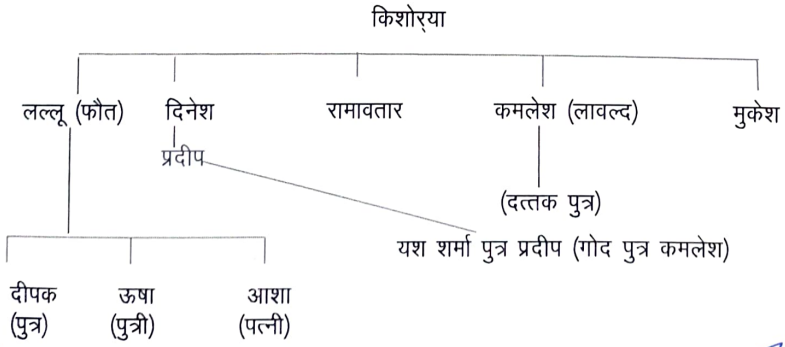

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज.

अप्रार्थी सं. 01 को यह भूमि विरासत में मिली। विवादित आराजीयात पैतृक सम्पत्ति है जो हिन्दू मुश्तर्का खानदान की अविभाजित भूमि है। प्रार्थी नाबालिग है, इस कारण उसकी तरफ से उनके पिता द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। नाबालिग के हितों की रक्षा करने का दायित्व न्यायालय हाजा का है। अप्रार्थी सं. 01 अविवाहित था जिसके कोई सन्तान नहीं थी। इस कारण अप्रार्थी सं. 01 ने अपनी सार–सम्भाल के लिए दिनांक 02.12.2021 को प्रार्थी के जाइन्दा माता–पिता प्रदीप कुमार शर्मा व पुष्पा देवी से प्रार्थी को गोद लेने का प्रस्ताव रखा। इस पर प्रार्थी के माता–पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बसन्त पंचमी सन् 2021 को गाँव के पाँच प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मध्य प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 01 की गोद में बिठाया और अप्रार्थी सं. 1 ने पंचों के मध्य प्रार्थी को अपना दत्तक पुत्र बनाया। इस उत्सव पर खुशी के समय में गीत गा कर, ढोल नगाडे बजाकर, घुघरी, बताशे मिठाई वितरित की गई तथा प्रार्थी को यश शर्मा मिसर मुतबला का नाम दिया और उसी दिन प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 01 प्रार्थी का अपने जाइन्दा माता–पिता के घर से अपने घर ले लिया तथा अपनी चल–अचल सम्पत्ति का मालिक बनाया। प्रार्थी के हक में अप्रार्थी सं. 01 ने जो पत्र भी दिनांक 02.12.2021 को उसी दिन सब–रजिस्ट्रार बैजूपाडा के यहाँ 500/– के स्टाम्प पर पंजीकृत गवाहान हनुमानसिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह राजपूत व रमेश पुत्र रामजीलाल मीना के हस्ताक्षर करा कर पंजीकृत करा दिया जो पुस्तक सं. 04 जिल्द में पृष्ठ सं. 18 पर क्रम सं. 202103159400002 पर पंजीकृत हुआ है। प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 01 का दत्तक पुत्र है और अप्रार्थी सं. 01 की चल–अचल सम्पत्ति का वारिस है। अप्रार्थी सं. 01 को अप्रार्थी सं. 02 ने बरगला कर, यह जानते हुए कि अप्रार्थी सं. 01 ने प्रार्थी को अपना दत्तक पुत्र ग्रहण कर रखा है, उसके बावजूद भी कतई गलत बिला बदल फर्जी बयनामा दिनांक 20.12.2021 को अपने हक में पंजीकृत करवा लिया जो पुस्तक सं. 01 जिल्द सं. 16 में पृष्ठ सं. 140 क्रम सं 202103159100187 पर पंजीबद्ध हुआ है। अप्रार्थी सं. 01 को पैतृक सम्पत्ति का बयनामा पंजीकृत कराने का कोई कानूनी अधिकार नही था और न अप्रार्थी सं. 01 को रूपयों की आवश्यकता है। प्रार्थी विवादित आराजीयात में अप्रार्थी सं. 01 का सहहिस्सेदार है और प्रार्थी गोदनामे के आधार पर अप्रार्थी सं. 01 की चल–अचल सम्पत्ति का कानूनी तौर पर अधिकारी है। बिना प्रार्थी की सहमति के अप्रार्थी सं. 01 को अपना सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा बेचने का अधिकार नही था। उसके बावजूद भी अप्रार्थी सं. 02 ने अप्रार्थी सं. 01 को बरगला कर गलत तरीके से बयनामा दिनांक 20.12.2021 को पंजीकृत कराया है जो प्रार्थी के हक हकूक विवादित आराजीयात की बाबत काले अदम गैर मौसर प्रभावहीन व शून्य है और प्रार्थी बयनामा दिनांक 20.12.2021 को शून्य घोषित कराने की डिक्री न्यायालय हाजा से अपने हक में खिलाफ अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्राप्त करने का अधिकारी है तथा अप्रार्थी सं. 4 से बयनामा शून्य होने का नोट अंकित कराने का अधिकारी है। अब अप्रार्थी सं. 2 बयनामा दिनांक 20.12.2021 के आधार पर अपने नाम नामान्तरकरण तस्दीक कराने की कोशिश में लगा हुआ है तथा नामान्तरकरण अपने नाम तस्दीक कराकर भूमि मुतदाविया से प्रार्थी को बेदखल कर स्वयं का नाजायज जबरिया करने की कोशिश करेगा। प्रार्थी उसे कब्जा करने से रोकेगा तो मौके पर संगीन वारदात होगी। प्रार्थी ने दिनांक 17.02.2022 को प्रतिप्रार्थी सं. 02 से कहा कि तुमने अप्रार्थी सं. 01 को बरगलाकर जो बिला बदल फर्जी बयनामा दिनांक 20.12.2021 को पंजीकृत कराया है, उसे अप्रार्थी सं. 03 के यहाँ चलकर शून्य घोषित करा लो तो अप्रार्थी सं. 02 साफ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

इन्कार हो गया व ऐलानिया धमकी दी कि मैं अब इस गलत बयनामे के आधार पर शीघ्र ही नामान्तरकरण तस्दीक कराकर लाठी के बल पर विवादित आराजीयात से तुम्हें बेदखल कर स्वयं का नाजायज जबरिया कब्जा करके रहूँगा। अगर अप्रार्थी सं. 02 अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को नुकसान अजीम नाकाबिले तायून व तकमीना होगा व प्रार्थी के हक हकूक विवादित आराजीयात से जाया होगें जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर भी सम्भव नही हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मकदमात दरम्यान फरीकेन चल पड़ेगें जो बाय से बर्बादी प्रार्थी होगें। इस कारण प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी आया है। मुकदमा प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी बमुकाबिले अप्रार्थीगण, प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अतः निवेदन हैं कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से प्रतिबन्धित कराने का अधिकारी है कि अप्रार्थी सं. 02 बयनामा दिनांक 20.12.2021 के आधार पर अपने नाम नामान्तकरण तस्दीक कराने से व विवादित आराजीयात खसरा सं. 181, 182, 182/619, 461, कुल किता 04, कुल रकबा 2.82 हैक्टे. पर स्थित ग्राम महुकलां के प्रार्थी को 1/5 हिस्से से बेदखल कर स्वयं के लाठी के बल पर अपना नाजायज कब्जा करने से, स्वयं या अपने एजेण्टों, नौकरों, घरवालों व अन्य मददगारान के दवामी तौर पर प्रतिबन्धित रहें एवं अप्रार्थी सं. 03 स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा बयनामा दिनांक 20.12.2021 के आधार पर अप्रार्थी सं. 02 के नाम नामान्तरकरण तस्दीक करने से व राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली करने से प्रतिबन्धित रहें एवं अप्रार्थी सं. 04 बयनामा दिनांक 20.12.2021 जो पुस्तक सं. 01, जिल्द सं. 16 में, पृष्ठ सं. 140 कम सं. 202103159100187 पर शून्य घोषित होने का नोट अंकित करें। इस प्रकार अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावे व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पन्जीबद्ध किया जाकर दिनांक 23.02.2022 को इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि उभय पक्ष ग्राम महुकलां, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 181, 182, 182/619, 461, कुल किता 4, कुल रकबा 2.82 हैक्टे. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 01 लगायत 04 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र उद्घोषणा व शून्य करार दिये जाने विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2021 एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 कमलेश का खुद को दत्तक पुत्र बताते हुए वादी विवादित आराजीयात में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत अनुतोष वादपत्र के जरिये चाहता है। प्रतिवादीगण के द्वारा वाद पत्र का जवाब न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है। विवादित आराजीयात का वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी के अधिकार पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। विवादित आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम महुकंला पटवार हल्का महुखुर्द, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

विवादित आराजीयात खसरा सं. 181, 182, 182/619, 461, कुल रकबा 2.82 हैक्टे. के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 23.02.2022 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि उभय पक्ष विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 30.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज